न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का खेरलीरेल बनाम मुन्नी w/o मानसिंह मीणा नाहलावता

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या :- RA|52|19 निर्णय दिनांक :- 25|2|2019

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम खेड़लीरेल की आ.ख.न. 1246 कुल रकबा 0.83 किस्म जमीन गै.मु.रा. में से 2400 वर्गफुट रकबे पर श्री मुन्नी w/o मानसिंह मीणा पर अनाधिकृत रास्ता रूप से अतिक्रमण कर पक्का कब्जा कर लिया है। इस पर पटवारी हल्का खेरलीरेल द्वारा दिनांक .... आवासीय मकान बना को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय साईट भू.अ.निरी. खेरलीरेल के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी मुन्नी w/o मानसिंह जाति मीणा निवासी नाहलावता को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .... मुन्नी .... उपस्थित आयी। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. 1246 रकबा 0.83 में से 2400 वर्गफुट रकबे किस्म गैमुरास्ता है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 10 रुपये का 50 गुणा 5h/- Five RS रूपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी खेरलीरेल .... भू.अ.निरी. .... खेरलीरेल को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार

तहसीलदार

कठूमर, अलवर (राज.)

प्रतिलिपि :- प. ह